

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :- श्री आसुराम

विपक्षी :- श्री अमरलाल

किस्म मुकदमा :- 53,88,188 रा.का.अधिनियम

पत्रावली संख्या :- 226/24

जीसीएमएस नम्बर :- 2024/549

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>दिनांक : 03.02.2026</p> <p>पत्रावली अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर तलब की गई। अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र वाद विद्दो का पेश कर वाद विद्दो किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र शामिल फाईल रहे। तहसीलदार मावली से पीडी पालना प्राप्त होकर शामिल फाईल है, रेकार्ड पर लिया जाता हैं।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण को प्रार्थना पत्र वाद विद्दो पर सुना गया तथा प्रार्थना पत्र वाद विद्दो को पढकर अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण को सुनाया गया। जिसे सुन समझकर सही होना स्वीकार किया। वादीगण की पहचान अधिवक्ता वादीगण द्वारा की गई।</p> <p>चूंकि अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण अब इस वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा वाद को इसी स्तर पर विद्दो कर खारिज करवाना चाहते हैं। ऐसे में वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं हैं। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद विद्दो का स्वीकार किया जाकर वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्तर पर विद्दो फरमाया जाकर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

